सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **07/2018** दायर दिनाँक **04.01.2018**

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. कल्याणसिंह पुत्र मगसिंह, उम्र–67साल, **2.** प्रतापसिंह पुत्र पूससिंह, उम्र–50साल, समस्त,जाति–राजपूत, निवासी–बेमोठ, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	**1.** पदमसिंह पुत्र भँवरसिंह, **2.** जवानसिंह पुत्र भँवरसिंह, **3.** मदनसिंह पुत्र भँवरसिंह, **4.** श्रवणसिंह पुत्र भँवरसिंह, **5.** किरणकँवर पत्नी भँवरसिंह, **6.** परबतसिंह पुत्र गायड़सिंह, **7.** अमरसिंह पुत्र गायड़सिंह, **8.** नानूकँवर पत्नी समदरसिंह, **9.** सुरजानकँवर पत्नी इन्द्रसिंह, **10.** जब्बरसिंह पुत्र समदरसिंह, **11.** भैरूसिंह पुत्र समदरसिंह, **12.** प्रहलादसिंह पुत्र समदरसिंह, **13.** दलीपसिंह पुत्र समदरसिंह, **14.** रसालकँवर पत्नी श्योदानसिंह, **15.** खुमानसिंह पुत्र श्योदानसिंह, **16.** मूलसिंह पुत्र श्योदानसिंह, **17.** जवाहरसिंह पुत्र श्योदानसिंह, **18.** कालीसिंह पुत्र किशोरसिंह, **19.** भगतसिंह पुत्र किशोरसिंह, **20.** पृथ्वीसिंह पुत्र किशोरसिंह, **21.** भोमसिंह पुत्र किशोरसिंह, **22.** जोरावरसिंह पुत्र किशोरसिंह, **23.** रेनूकँवर पुत्री किशोरसिंह, **24.** पिंकीकँवर पुत्री किशोरसिंह, **25.** आशाकँवर पत्नी किशोरसिंह, **26.** रघुवीरसिंह पुत्र पूससिंह, **27.** राजेन्द्रसिंह पुत्र पूससिंह, **28.** सायरकँवर पत्नी पूससिंह, **29.** मानसिंह पुत्र भवानीसिंह, **30.** हेमसिंह पुत्र भवानीसिंह, **31.** सालमकँवर पत्नी प्रेमसिंह, **32.** बहादुरसिंह पुत्र प्रेमसिंह, **33.** गोपालसिंह पुत्र प्रेमसिंह, **34.** भैरूसिंह पुत्र फूलसिंह, **35.** बिशनसिंह पुत्र लादुसिंह, **36.** तेजसिंह पुत्र रेवन्तसिंह, **37.** नारायणसिंह पुत्र सगतसिंह समस्त,जाति–राजपूत, निवासी–बेमोठ, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान,

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 07 / 2018
दायर दिनाँक 04.01.2018, प्राथमिक निर्णय दिनाँक 07.03.2018
कल्याणसिंह, वगैरा बनाम् पदमसिंह, वगैरा।

		38. सुवाकँवर पत्नी मनोहरसिंह, 39. कमलाकँवर पत्नी प्रहलादसिंह, समस्त,जाति–रावणा राजपूत, निवासी–बेमोठ, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 40. सरपंच ग्रामपंचायत, दीनदारपुरा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 41. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा–53, 188, R.T.Act.

उपस्थितः–

1. श्री अजीतसिंह राठौड़, अधिवक्ता, वादीगण।
2. श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 07, 09, 10, 14, 16 ता 20, 25, 26, 28 ता 32, 36 ता 38 व 39 की ओर से।

–:: प्राथमिक निर्णय ::–

दिनाँक **07.03.2018**

वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 37 स्वर्गीय चाँदसिंह के वारिशान् हैं।

शरहद बेमोठ में खसरा नम्बर 75 रकबा 23.13 बीघा, खसरा नम्बर 63 रकबा 01.11 बीघा, खसरा नम्बर 92 रकबा 04.04 बीघा भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 37 के पूर्वज स्वर्गीय चाँदसिंह के समय से खातेदारी व कब्जाकाश्त की है। चाँद के एक पुत्र केशरसिंह ग्राम डिडेल में गोद चले गये है इसलिए स्वर्गीय चाँदसिंह के तीन पुत्र अन्नेसिंह, अर्जुनसिंह व हरिसिंह के वारिशान् के रही है जहाँ वर्तमान में उनके वारिशान् काबिज है। खतौनी की प्रमाणित प्रतिलिपि वाद के साथ पेश है।

वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 37 ने वादित् खसरान् का बन्टवारा कर लिया तथा मौके पर सींवें–नींवें कायम है। बन्टवारा निम्न प्रकार है:–

(क) खसरा नम्बर 75 रकबा 23.13 बीघा में से रकबा 02.09 बीघा बन्ट व खातेदारी में थी जिसमें से वादी कल्याणसिंह ने अपने हिस्से में से 10

उपखण्ड कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 07/2018
दायर दिनाँक 04.01.2018, प्राथमिक निर्णय दिनाँक 07.03.2018
कल्याणसिंह, वगैरा बनाम् पदमसिंह, वगैरा।

बिस्वा भूमि प्रतिवादी नारायणसिंह, 05 बिस्वा प्रतिवादीनी सुवाकँवर व 05 बिस्वा प्रतिवादीनी कमलाकँवर को बेचाण कर दी। शेष 01 बीघा 09 बिस्वा भूमि वादी कल्याणसिंह के कब्जेकाश्त, बन्ट व खातेदारी में रहेगी।

(ख) खसरा नम्बर 75 रकबा 23.15 बिस्वा में से 07 बीघा 12 बिस्वा पश्चिमी भाग फोगड़ी कटाणी रास्ता के चिपता ही उत्तर में।
खसरा नम्बर 92 रकबा 04.04 बीघा में 02.02 बीघा भूमि पश्चिमी दक्षिणी हिस्सा खातेदारी व बन्ट में रहेगा।
वादी प्रतापसिंह के उगमकँवर उर्फ सुगनकँवर पत्नी रामसिंह के हिस्से की भूमि नन्दकँवर पत्नी जीवराजसिंह के हिस्से में आई नन्दकँवर ने उक्त हिस्सा गुलाबसिंह पुत्र नन्दसिंह को बेचाण किया तथा गुलाबसिंह उक्त हिस्सा वादी प्रतापसिंह ने जरिये विक्रय–पत्र के खरीद किया। इसलिए वादी की खातेदारी में उक्त खसरान् की भूमि प्राप्त हुई जिस भूमि को वादीगण ने अपने नजरीनक्शा में दर्शाया है। नजरीनक्शा पेश है।

प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 13 के बन्ट में खेत खसरा नम्बर 75 रकबा 23.13 बीघा में से 04.16 बीघा भूमि वादी कल्याणसिंह के चिपता ही पश्चिम में रहेगी।

प्रतिवादी रसालकँवर, खुमानसिंह, मूलसिंह व जवाहरसिंह के बन्ट व खातेदारी में खसरा नम्बर 92 रकबा 04.04 में से 02 फोगड़ी रास्ता के चिपते ही दक्षिण व पूर्वी हिस्सा रहेगा तथा खसरा नम्बर 75 रकबा 23.15 बीघा में से 09 बिस्वा फोगड़ी रास्ता के चिपते ही उत्तर में एवं वादी कल्याणसिंह के हिस्से से दक्षिणी भाग बन्ट व खातेदारी में रहेगी।

प्रतिवादी संख्या 18 कालीसिंह से लेकर प्रतिवादी संख्या 36 तेजसिंह के खातेदारी व बन्ट मे खसरा नम्बर 75 रकबा 23.13 बीघा में से 08.07 बीघा माणकसर जाने वाला कटाणी रास्ता से चिपता ही रहेगा। खसरा नम्बर 63 रकबा 01.11 बीघा की भूमि सम्पूर्ण प्रतिवादी संख्या 18 कालीसिंह से लेकर प्रतिवादी संख्या 36 तेजसिंह के बन्ट व खातेदारी में रहेगा।

वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 36 वाद वर्णित व नजरीनक्शा में दर्शित भूमि अनुसार अलग–अलग काश्त करते आये हैं। मगर वादित खसरा की भूमि का अभी तक विधिवत् बन्टवारा नहीं हुआ है। वर्षा के समय हर साल काश्त की मौसम में सींवे–नींवें बाबत् रहता है। वादीगण को विधिवत् बन्टवारा का दावा करना लाजमी आया है।

वादीगण अपने हिस्से में खेजड़ियों का लूंग काटने दिनाँक 24.12.2017 को गये तब प्रतिवादीगण ने एलानियाँ कहा कि इस वर्ष तो खेजड़ियों का लूंग काट लो, आइन्दा काश्त नहीं करने देंगे। यदि वादीगण के जायज हिस्से में काश्त नहीं करने दी तो वादीगण को अपार हानि

उपखण्ड कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति नकदी से करना सम्भव नहीं होगा। इसलिए वादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश करना लाजमी आया है।

प्रतिवादी अमरसिंह ने खसरा नम्बर 75 में से अपने हिस्से में से 03 बिस्वा भूमि ग्राम पंचायत दीनदारपुरा को पानी के होजा के लिए दान कर दी, जिसका नाप राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है इसलिए आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाया गया है।

बिनाय दावा दिनाँक 24.12.2017 को वादीगण को धमकी देने व खतौनी की नकल लेने पर पैदा हुआ है।

प्रार्थना वादीगण है कि–

शरहद बेमोठ में खसरा नम्बर 75 रकबा 23.13 बीघा, खसरा नम्बर 63 रकबा 01.11 बीघा, खसरा नम्बर 92 रकबा 04.04 बीघा का विधिवत् नजरीनक्शा अनुसूची "अ" के अनुसार व वाद वर्णितानुसार बन्टवारा कर वादीगण का हिस्सा अलग किया जावे। वादीगण के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 41 को वास्ते जवाबदेही हाजिर अदालत जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01, 02, 04, 08, 11 ता 25, 27, 33 ता 35, 37, 39 व 40 के बावजूद तामिलगी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने का आदेश पारित किया गया।

वादीगण ने वाद के समर्थना में शपथ–पत्र, नजरीनक्शा, जमाबन्दी ग्राम बेमोठ सम्वत् 2070–2073 के खेवट संख्या 44/43 की प्रमाणित प्रतिलिपि, जमाबन्दी ग्राम बेमोठ सम्वत् 2070–2073 के खेवट संख्या 41/43 की प्रमाणित प्रतिलिपि, नक्शा ट्रेश की प्रमाणित प्रतिलिपि, पेश है।

वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 07, 09, 10, 14, 16 ता 20, 25, 26, 28 ता 32, 36 ता 38 व 39 ने राजीनामा पेश किया। राजीनामा की इबारत् पक्षकारान् को पढकर सुनाई व समझाई गयी, जिसे बिना किसी दबाव या लालच के सही होना स्वीकार किया गया। वादीगण की पहचान वकील श्री अजीतसिंह राठौड़ ने की तथा प्रतिवादीगण की पहचान वकील श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने की है। हस्ब बख्वाहिश राजीनामा तस्दीक किया गया।

उपर्युक्त राजीनामा में नजरीनक्शा पेश है जिसमें दर्शित भूमि अनुसार पक्षकारान् दावा डिक्री करवाना चाहते हैं।

विद्वान वकुलाय की सारगर्भित बहस सुनी गई। विद्वान वकुलाय पक्षकारान् वाद में प्राथमिक निर्णय किया जाने की मंशा जाहिर कर रहे हैं। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं साक्ष्य के अनुसार शरहद बेमोठ के वादग्रस्त भूमि के वादीगण व प्रतिवादीगण सहखातेदार हैं तथा

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 07 / 2018
दायर दिनाँक 04.01.2018, प्राथमिक निर्णय दिनाँक 07.03.2018
कल्याणसिंह, वगैरा बनाम् पदमसिंह, वगैरा।

विधिवत् बन्टवारा करवाने की इस्तदुआ कर रहे हैं। पक्षकारान् सहखातेदार होने के कारण बन्टवारा करवाने के कानूनन् हकदार है।

अतः वादीगण का वाद प्राथमिक डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

दावा प्राथमिक डिक्री सादिर कर मौजा बेमोठ के खेत खसरा संख्या 63 रकबा 01.11 बीघा, खसरा नम्बर 92 रकबा 04.04 बीघा व खसरा नम्बर 75 रकबा 23.13 बीघा का वादीगण व प्रतिवादीगण प्रतिवादीगण के मध्य बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से विभाजन प्रस्तावित करने का आदेश तहसीलदार डीडवाना को दिया जाता है।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

प्राथमिक निर्णय आज दिनाँक **07.03.2018** को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

क्रमांकः–07–2018/रीडर/2018/ 250 दिनाँक 26.3.18

प्रेषितिः–

तहसीलदार
डीडवाना।

विषयः –प्राथमिक निर्णय की पालना करने बाबत्।

दावा बाबत्
बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा–53, 188, R.T.Act.

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. कल्याणसिंह पुत्र मगसिंह, उम्र–67साल, जाति–राजपूत, निवासी–बेमोठ, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, वगैरा।	बनाम्	1. पदमसिंह पुत्र भँवरसिंह, जाति–राजपूत, निवासी–बेमोठ, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, वगैरा।

उपरोक्त विषयक वर्णित प्रकरण में पारित प्राथमिक निर्णय की छायाप्रति संलग्न पालनार्थ प्रेषित है। प्राथमिक निर्णयानुसार पालना कर पालना रिर्पोट, दिनाँक 24.04.2018 तक आवश्यक रूप से भिजवायें, बशर्ते किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन व राज्यहित प्रभावित नहीं हो।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner